

भाग - III

जनपद मेरठ के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के निर्माण में अपर गंग नहर की दांयी पटरी के कि०मी० चेनेज 108.750 से कि०मी० चेनेज 151.050 तक 84.60 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं बाधक 66,685 (24223 वृक्ष तथा 42462 पौध) वृक्षों/पौधों के पातन का प्रस्ताव।
प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/121197/2021

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	हां (संलग्न है)
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 12/07/2021

हस्ताक्षर

स्थान :- मेरठ
सरकारी मोहर-

नाम और पदनाम -

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के निर्माण में अपर गंग नहर की दांयी पटरी के कि०मी० चेनेज 151.050 से कि०मी० चेनेज 163.40 तक 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं बाधक 4164 वृक्षों तथा 24750 पौधों के पातन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/121197/2021

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ संलग्न है
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 12-07-2021

हस्ताक्षर

स्थान :- मेरठ

नाम और पदनाम -

सरकारी मोहर-

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सांमाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सांमाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ
(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 165 / 14-1 दिनांक, मेरठ 12, जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- जनपद मेरठ के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के निर्माण में अपर गंग नहर की दांयी पटरी के कि०मी० चेनेज 108.750 से कि०मी० चेनेज 151.050 तक 84.60 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं बाधक 66,685 (24223 वृक्ष तथा 42462 पौध) वृक्षों/पौधों के पातन का प्रस्ताव।
प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/121197/2021

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक 170/14-1 दिनांक 09.07.2021.

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 05 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 165 / 14-1 दिनांकित।

1-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 166 / 14-1 दिनांक, मेरठ 12 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के निर्माण में अपर गंग नहर की दांयी पटरी के कि०मी० चेनेज 151.050 से कि०मी० चेनेज 163.40 तक 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं बाधक 4164 वृक्षों तथा 24750 पौधों के पातन का प्रस्ताव।
प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/121197/2021

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद का पत्रांक 145/14-1 दिनांक 08.07.2021.

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 05 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 166 / 14-1 दिनांकित।

1-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं होती जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(मंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।